\

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 72/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

वनाम

1. श्री अन्नत राम शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा, मैसर्स आशु स्वीट्स, सुभाष नगर, ब्यावर रोड़, अजमेर।
2. ब्रिज बाला गुप्ता पत्नि श्री अनुप गुप्ता, 33 बी जैन मन्दिर के पास, पुरानी चुन्नी, चन्द्रनगर, अजमेर।
3. मैसर्स आशु स्वीट्स, सुभाष नगर, ब्यावर रोड़, अजमेर।

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण स्वयं।

-: आदेश :-

दिनांक- 20.07.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनरथ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड घेवर (वनस्पति में निर्मित) का विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.08.2015 को 11.00 ए.एम खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स आशु स्वीट्स, सुभाष नगर, ब्यावर रोड़, अजमेर पर पहूँचे श्री अन्नत राम शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को घेवर (वनस्पति में निर्मित), नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थ का विकय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान घेवर (वनस्पति में निर्मित) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 2 किलोग्राम घेवर (वनस्पति में निर्मित) वास्ते नमूना जॉच हेतु 360/– रूपयें श्री अन्नत राम को नगद देकर गवाह श्री वासुदेव शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष कय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री अन्नत राम को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा घेवर (वनस्पति में निर्मित) को बराबर–बराबर मात्रा में अलग–अलग चार पैकिट में डालकर प्रत्येक पैकिट में 40–40 बूंद फार्मालिन डालने के पश्चात् प्रत्येक पैकिट को नियमानुसार अलग–अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक पैकिट पर लेबल पर डीओ के कोड कमांक ए/1111 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/10668 दिनांक 07.10.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. 581/एक्ट/2015/581 दिनांक 11.09.2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते जॉच विकय किया गया घेवर (वनस्पति में निर्मित) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 03.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 03.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री अन्नत राम को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 20.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 20.07.2016 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित रहे उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को सुना गया। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विकय किया गया सब स्टेण्डर्ड घेवर (वनस्पति में निर्मित) पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्री अन्नत राम द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

उपधारा 2 (11) के तहत सब स्टण्डर्ड पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सब स्टेण्डर्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री अन्नत राम व अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री अन्नत राम व अन्य को रू. 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपयें मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 20.07.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.07.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

3- ब्रिज बाला गुप्ता पत्नि श्री अनुप गुप्ता, 33 बी जैन मन्दिर के पास, पुरानी चुन्गी, चन्द्रनगर, अजमेर।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner